



# कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)



कमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2023/23452

दिनांक: 8/5/2023

प्रेषिति :-

1. श्री जयेश भाटिया पिता श्री पुरुषोत्तम भाटिया,  
महोदव की घाटी, नाथद्वारा,  
जिला-राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री धनसुख लाल गुर्जर,  
मीरा नगर, नाथद्वारा,  
जिला-राजसमन्द (राज.)
3. श्री सत्यनारायण सोनी पिता श्री भवानीशंकर,  
चारभुज मन्दिर के पीछे, फौज मोहल्ला, नाथद्वारा,  
जिला-राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री भैरूलाल माली,  
लाल बाग रोड़, उबा गणेश जी, नाथद्वारा  
जिला-राजसमन्द (राज.)
5. श्री जाकीर हुसैन पिता श्री इस्माईल मंसुरी,  
नगरीब नवाज कॉलोनी, नाथद्वारा  
जिला-राजसमन्द (राज.)
6. श्री नन्द किशोर चौधरी पिता श्री मांगीलाल चौधरी,  
जाट खिड़की, नाथद्वारा  
जिला-राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती महिमा भाटिया पत्नी श्री मुरलीधर भाटिया एवं  
श्री शिपरा भाटिया भाटिया पत्नी श्री राजदीप भाटिया,  
बिच्छु मंगरी, तेलियों का तालाब, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)।

विषय:- आप द्वारा प्रस्तुत एकीकरण/संयुक्तीकरण/विखण्डन/उपविभाजन की पत्रावली को दस्तावेजों के आभाव में अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22 के तहत एम्पावर्ड कमेटी अनुमोदन समिति की संयुक्त बैठक कार्यवाही विवरणीका दिनांक 05.01.2023 के निर्णय एवं पालिका पत्रांक/न.पा.नाथ./भूमि/2023/19529, 19605, 19612, 19615 19621, दिनांक 12.01.2023 एवं आवेदन दिनांक 21.07.2022 एवं दिनांक 23.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार लेख हैं कि आप द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021-22 के तहत नगरपालिका नाथद्वारा में एकीकरण/संयुक्तीकरण/विखण्डन/उपविभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। परन्तु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन में परीक्षण उपरान्त दस्तावेजों का आभाव पाया गया। प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरणीका दिनांक 05.01.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार कर्मीपूर्ति के सम्बन्ध में आपको पत्र प्रेषित किया गया था। जिसकी कर्मीपूर्ति आप द्वारा निर्धारित समायावधि में पूर्ण नहीं की गयी।

स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक 4713 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में प्राप्त निर्देशों की पालना में नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2023 से उक्त विभागीय सेवा का अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करते हुए निस्तारण किया जा रहा है। तदानुसार आप सम्बन्धित SSO ID के माध्यम से वांछित कर्मीपूर्ति 07 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा वांछित कर्मीयों की पूर्ति 07 दिवस में पूर्ण नहीं की जाती है तो यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त आवेदन के सम्बन्ध में इच्छुक नहीं हैं एवं पालिका द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आपकी पत्रावली ऑन-लाईन ही निस्तारित कर दी जावेगी।

सूचित हो।

  
आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा

कमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2023/23453-23456

दिनांक: 18/5/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. प्रभारी भूमि शाखा, नगरपालिका नाथद्वारा को भेजकर को लेख हैं कि सभी आवेदकों को तामिल कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री हरिश सैन, प्रोग्रामर, नगरपालिका नाथद्वारा को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त सूचना को पालिका वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. रिकोर्ड शाखा प्रभारी, नगरपालिका नाथद्वारा।
4. सुरक्षित पत्रावली।

  
18/5/2023

आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा